न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– चंचल वर्मा आर.ए.एस.

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम 1994

प्रकरण संख्या–10/2022

1. रामकुमार पुत्र श्री सरदाराराम जाति जाट उम्र 57 वर्ष निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. मानाराम उर्फ मानसिंह पुत्र श्री रामप्रताप उम्र 55 वर्ष पेशा खेती निवासी वार्ड संख्या 05, रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–निगरानीकर्तागण

बनाम

1. रोहिताश पुत्र लिखमराम उम्र 47 वर्ष निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. बृजलाल पुत्र अमीलाल उम्र 47 वर्ष निवासी वार्ड नं. 16, रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. ग्राम पंचायत रामगढ़ जरिये सरपंच ग्राम पंचायत रामगढ़ पंचायत समिति नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति नोहर जरिये अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–गैर निगरानीकर्तागण

उपस्थितः– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थीगण।
श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–1, 2
श्री रोहिताश सिहाग अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–4

निर्णय दिनांकः– 20/09/2023

प्रार्थीगण रामकुमार पुत्र सरदारा राम जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर एंव मानाराम उर्फ मानसिंह पुत्र रामप्रताप निवासी वार्ड नं0 संख्या 05 रामगढ़ तहसील नोहर ने विरूद्ध निर्णय अपील संख्या 43/2022, निर्णय दिनांक 09.06.2022 निगरानी प्रस्तुत की, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

1. प्रत्यर्थी संख्या–2 ने न्यायालय सिविल न्यायाधीश नोहर के समक्ष एक दावा संख्या 26/2022 व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना--पत्र संख्या 22/2022 मानाराम बनाम राजेन्द्र आदि प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसका ग्राम पंचायत रामगढ़ में एक भूखण्ड तादादी 60 गुणा 60 फुट कुल 3600 वर्ग फुट का स्थित है, जिसके उत्तर में

20/9/2023
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

लिछमण राम, दक्षिण में अमीलाल, पूर्व में रास्ता, पश्चिम में सदीक मोहम्मद स्थित है। इस भूखण्ड पर राजेन्द्र बगैरा कब्जा करना चाहते है। जिनको स्थगन आदेश से रोका जावे। प्रत्यर्थी संख्या–2 ने यह भूखण्ड प्रत्यर्थी संख्या–1 से जरिये ईकरारनामा खरीद करना बताया और प्रत्यर्थी संख्या 1 के सम्बंध में पट्टा संख्या 49 दिनांक 20.09.2008 को जारी होना बताया। इस प्रकार पट्टे का ज्ञान अपीलार्थीगण को दावा में दिनांक 18.02.2022 को उपस्थित होने पर हुआ और कथित पट्टा नियम 157 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996 के तहत जारी है। जबकि नियम 157 के तहत पट्टा केवल पुराना आवासीय भूखण्ड का ही जारी किया जा सकता है। पट्टा की भूमि पर प्रत्यर्थीगण का कभी कोई कब्जा स्वामित्व टाईटल नहीं रहा है और ना ही आज मौका पर है। इस प्रकार पट्टा विधि विरूद्ध जारी है। पट्टा की भूमि ग्राम पंचायत रामगढ़ के अधिकार क्षेत्र की भूमि नहीं है। उक्त भूमि रोही मौजा रामगढ़ के खसरा नं. 508 का रकबा 15 बीघा 19 बिस्वा जो राजस्व रिकॉर्ड में जोहड़ पायतन के नाम दर्ज है, कथित पट्टा का ग्राम पंचायत रामगढ़ में कोई रिकॉर्ड नहीं है। जिसकी ताईद ग्राम पंचायत रामगढ़ दिनांक 16.02.2022 की रिपोर्ट में की है, प्रत्यर्थीगण ने जोहड़ पायतन की भूमि का कूटरचित पट्टा तैयार किया हैं । कथित पट्टा का ज्ञान दिनांक 18.02.2022 को हुआ है इसलिए अपील धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ पेश कर निवेदन है कि अपीलाधीन पट्टा खारिज किया जाए।

2. अपीलार्थीगण ने अपील के समर्थन में अपना शपथ पत्र, अपीलाधीन पट्टा की प्रति, ग्राम पंचायत रामगढ़ द्वारा दिनांक 16.02. 2022 को जारी रिपोर्ट की प्रति, ग्राम रामगढ़ तहसील नोहर की सम्वत् 2009 से 2012 तक की जोहड़ पायतन भूमि बाबत् जमाबन्दी की प्रति, न्यायालय सिविल न्यायाधीश नोहर के समक्ष वाद बअनवान मानाराम बनाम राजेन्द्र आदि की प्रतियां अपील के साथ पेश की है।
3. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 61 के अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ पेश अपील दर्ज की गई। पक्षकारान को सुनवाई नोटिस जारी किये गये व पक्षकारान को सुनवाई के अवसर प्रदान किये व उभय पक्ष को सुना। मौका निरीक्षण कमेटी से मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट मंगवाई गई।
4. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 61 के अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ पेश अपील दर्ज की गई। पक्षकारान को सुनवाई नोटिस जारी किये गये व पक्षकारान को सुनवाई के अवसर प्रदान किये व उभय पक्ष को सुना। मौका निरीक्षण कमेटी से मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट मंगवाई गई।
5. गैरनिगरानीकर्ता संख्या–4 द्वारा निगरानीकर्ता संख्या–1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 49 दिनांक 09.06.2022 को खारिज फरमा दिया गया है जिससे व्यथित होकर निगरानीकर्तागण अपनी ओर से निगरानी पेश कर रहे है।

20/9/2023
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

6. गैरनिगरानीकर्ता संख्या–4 ने उक्त पट्टा गैरनिगरानीकर्ता संख्या–3 के नाजायज दबाब व प्रभाव में आकर निगरानीकर्ता संख्या–1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 49 को जोहड़ पायतन की भूमि मानकर खारिज करने में विधि सम्बंधी एवं कानूनी भूल की है। अतः निगरानी अपास्तनीय है।

7. उक्त अपील में गैरनिगरानीकर्ता संख्या–3 द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय में भी निगरानीकर्ता संख्या–1 के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 20.09.2008 के सम्बंध में माननीय सिविल न्यायाधीश नोहर के न्यायालय में गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 ने राजेन्द्र वगैरा के विरूद्ध व गैरनिगरानीकर्ता संख्या–2 के विरूद्ध माननीय सिविल न्यायाधीश नोहर के न्यायालय में मानाराम बनाम राजेन्द्र आदि के अनवान से दावा पेश किया था व इसके साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र भी पेश किया गया था तथा उक्त प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में सिविल न्यायाधीश नोहर द्वारा तहसीलदार नोहर से उक्त पट्टा संख्या 49 जारी तिथि 20.09.2008 की भूमि की किस्म के सम्बंध में रिपोर्ट मंगवाई गई थी। जिस पर श्रीमान् उप तहसीलदार महोदय रामगढ़, नोहर द्वारा तहसीलदार एवं कार्यापालक मजिस्ट्रेट नोहर के आदेशानुसार रिपोर्ट पेश की गई थी तथा श्रीमान् उप तहसीलदार महोदय रामगढ़ द्वारा उक्त पट्टा संख्या 49 दिनांक 20.09.2008 की वस्तुस्थिति के सम्बंध में अपनी रिपोर्ट में यह टंकन किया कि उक्त भूमि आबादी क्षेत्र में है तथा जोहड़ पायतन के नाम से दर्ज नहीं है और साथ में उक्त भूमि रिकॉर्ड में गैर मुमकीन आबादी भूमि दर्ज होना बताया है। उक्त तथ्य का निगरानीकर्ता संख्या 1 व 2 ने उक्त अपील में अपनी ओर से प्रस्तुत जवाब अपील में भी कथन किया था परन्तु गैरनिगरानीकर्ता संख्या 4 ने उक्त तथ्य को नजर अंदाज करउक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.06.2022 विधि से हटकर पारित किया है। इसलिए उक्त निर्णय विधि से परे होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है तथा गैरनिगरानीकर्ता संख्या–4 ने उक्त पट्टा राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1997 नियम 157 के तहत गलत रूप से पट्टाधारी के पक्ष में जारी करना बताया है तथा उक्त पट्टा सही नहीं होना माना है। परन्तु उक्त पट्टा शुद्धा भूमि पर पट्टाधारी रामकुमार का पुराना कब्जा चला आ रहा था और उनके द्वारा पूर्व में की गई तामीरात गिर चुकी थी। पुराना कब्जा चले आने के आधार पर ही पट्टाधारी रामकुमार के पक्ष में नियम 157 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996 के तहत पट्टा जारी किया गया था।

8. निगरानी माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की है तथा अन्दर मियाद है व उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है।

अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी निगरानीकर्तागण स्वीकार फरमाई जाकर पंचायत समिति नोहर अर्थात् गैरनिगरानीकर्ता संख्या–4 द्वारा अपील संख्या

20/9/2023

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

43/2022 जिसकी प्रविष्टी तिथि 23.02.2022 में पारित निर्णय दिनांक 09.06.2022 को अपास्त किया जावें।

निगरानी पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–1, 2 की ओर से श्री रविन्द्र गोदारा एडवोकेट उपस्थित हुये। अप्रार्थी संख्या–03 नोटिस तामिल होनें के उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुये। अप्रार्थी संख्या– 04 की ओर श्री रोहिताश सिहाग एडवोकेट उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति, पंचायत समिति नोहर से निगरानीधीन निर्णय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट श्री नरेन्द्र जोशी ने अपनी बहस में कथन किया कि पट्टा संख्या 49 दिनांक 20.09.2008 रामकुमार पुत्र सरदाराराम जाति जाट निवासी रामगढ़ को खारिज करवानें हेतू पंचायत समिति नोहर में अपील प्रत्यर्थी संख्या–02 मानाराम ने सिविल न्यायालय में दावा किया और स्थगन प्रार्थना–पत्र पेश किया। रामगढ़ में भूखण्ड 60 X 60 का है जिसके उतर में लिछमणराम, दक्षिण में अमीलाल, पूर्व में रास्ता, पश्चिम में सदीक मोहम्मद है। इस पर राजेन्द्र आदि कब्जा करना चाहते है तो रोका जावे। मानाराम ने रामकुमार से खरीदा था। सिविल न्यायालय में हाजिर आए तो पता चला कि पट्टा जारी है जो नियम 157 के तहत था। इस पर काबिज नहीं होनें का का कथन किया जो अपील में कहा गया । अपील में कहा गया यह खसरा संख्या 508 का भाग है, जो कि जोहड़ पायतन है व इनका पट्टा कूटरचित है। ऐसा कथन अधीनस्थ न्यायालय में किया। दिनांक 06.06.2022 को मेरा पट्टा जोहड़ पायतन मानते हुये खारिज कर दिया। मेरा पट्टा जरिये इकरारनामा खरीद था। पट्टा आबादी भूमि का है न कि जोहड़ पायतन का। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत पट्टा जारी हुआ है। अतः इसे बहाल रखा जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–1, 2 श्री रविन्द्र गोदारा ने अपनी बहस में कथन किया कि यह पट्टा सही नहीं है व यहां कोई काबिज नहीं है। यह पट्टा इस नियम 157 के तहत नहीं आता है। पट्टे में 'जोहड़ के पास' लिखा है। सिविल कोर्ट में प्रकरण चला तो बताया कि पट्टा जारी है। यहां पानी भराव होता है। पंचायत समिति ने पूर्ण सुनवाई करके जोहड़ पायतन होनें के कारण पट्टा खारिज किया व मौका रिपोर्ट लेकर खारिज किया है। निगरानी काबिले खारिज है। यह खरीदशुदा बता रहें है जबकि मनगढ़त दस्तावेज तैयार किया है।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने पुनः अपनी बहस में कथन किया कि इस जोहड़ पायतन के खसरे से कौनसा किला नं0 बना है, यह कहीं नहीं बताया है। यह पट्टा रामकुमार पुत्र सरदाराराम का था जो वर्ष 2008 में जारी हुआ । उस समय कच्चे गारे से बना मकान

20/9/2023
अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

था तो नियम 157 के तहत वाजिब है। राजस्व कर्मचारी/तहसीलदार की रिपोर्ट स्पष्ट है कि यह आबादी में है न की जोहड़ पायतन की है। पटवारी व तहसीलदार रिपोर्ट सिविल न्यायालय में प्रस्तुत है। भूखण्ड का साईज 60 X 60 का पट्टा खारिज करके इसे खुर्द–बुर्द करके गायों के फाटक में मिलाना चाहते थे। पट्टा बही भी नष्ट कर दी गई। हमनें नकल पंचायत समिति से प्राप्त की है। अतः निगरानी स्वीकार की जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–1, 2 ने पुनः अपनी बहस में कथन किया कि खसरा संख्या 508 आबादी मे आया तो किला नं0 नहीं होते है। गायों के फाटक में मिलाने का तथ्य सही नही है।

हमनें अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी एंव मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन किया। देखने पत्रावली से स्पष्ट है कि पत्रावली में संलग्न पटवारी एवं तहसीलदार रिपोर्ट में इसे स्पष्ट रूप से आबादी भूमि माना गया है न कि जोहड़ पायतन की भूमि। यह तथ्य सिविल न्यायालय में प्रस्तुत हुआ। इस बिन्दु पर आबादी भूमि मानने का तथ्य पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है। इस भूखंड को रामकुमार द्वारा जरिए इकरारनामा मानाराम को हस्तांतरित करने का तथ्य भी पत्रावली पर उपस्थित है। किसी राजस्व भूमि पर मौका रिपोर्ट एवं उस भूमि की खसरा संबंधी सूचना देने हेतू तहसीलदार/राजस्व विभाग ही अधिकृत है। ऐसे में तहसीलदार/पटवारी द्वारा प्रस्तुत तथ्य को अस्वीकार करते हुए इस पट्टे को जोहड़ पायतन के आधार पर खारिज करना अस्वीकार्य तथ्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इसमें व्यापक भूल की है। अतः उक्त निगरानी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है और अधीन न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.06.2022 खारिज किया जाता है एवं निगरानीकर्त्ता का पट्टा बहाल किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की तलब शुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाया जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 20.09.2023 को सरेइजलास सुनवाया गया।

20/9/2023
(चंचल वर्मा आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)